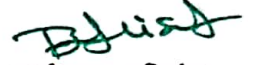


-:: निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण):-

नगरपालिक निगम चिरमिरी द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र0 10, 13, 18 एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर पाईप लाईन उन्नयन कार्य, (लागत राशि रु0 5.00 लाख) हेतु छ0ग0 लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से त्रि-लिफाफा पद्धति से मैन्युअल निविदा दिनांक 23.07.2026, सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं अन्य जानकारी निविदा दिनांक से एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन अवधि में देखी व प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uad.cg.gov.in अथवा नगर निगम चिरमिरी की वेबसाइट www.nagarnigamchirmiri.com भी उपलब्ध है।



कार्यपालन अभियंता

नगरपालिक निगम चिरमिरी

जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

चिरमिरी, दिनांक 02.07.26

पृ0क्र0/1381/तक0-11/न0पा0नि0/2026-27,

प्रतिलिपि :-

1. महापौर महोदय, न0पा0नि0 चिरमिरी, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0) को सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर, राज्य डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर (छ0ग0) की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सम्पादक ~~दो नई दुनिया~~ (छ0ग0) क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री ~~एम0एम0एम0एम0~~ को सूचनार्थ। कृपया अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में निविदा को 02 कॉलम x 08 सेमी0 में दिनांक 02.07.26 के अंक में शासन के स्वीकृत दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही विज्ञापन प्रकाशन के अगले दिवस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की दो प्रति कार्यालय में संबंधित शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। ताकि विज्ञापन में त्रुटि होने की स्थिति में सुधार किया जा सके।
5. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. आयुक्त नस्ती हेतु।



कार्यपालन अभियंता

नगरपालिक निगम चिरमिरी

जिला-एम.सी.बी. (छ0ग0)

-:: विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण) ::-

नगरपालिक निगम चिरमिरी द्वारा निम्नानुसार वर्णित कार्य हेतु छोगढलो०नि०विभाग (एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत) 'द' या अपर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी (भवन एस०ओ०आर० दि० २०.०४.२०२६) से प्रतिशत दर पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा त्रि-लिफाफा पद्धति से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- | | | | |
|----|--|---|--------------------------|
| 1. | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय | - | २३.०७.२०२६ सायं ५:३० बजे |
| 2. | निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि एवं समय | - | २४.०७.२०२६ सायं ३:०० बजे |

क्र.	कार्य विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (FDR/D.D.) निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र० १०, १३, १८ एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर पाईप लाईन उन्नयन कार्य	५.००	५०००/- ७५०/-	०१ माह

नोट:-

- (१) निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें निविदा दिनांक से एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन अवधि में देखी जा सकेंगी।
- (२) निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.uad.cg.gov.in अथवा नगर निगम चिरमिरी की वेबसाइट www.nagarnigamchirmiri.com से डाउनलोड किया जाकर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद के साथ संबंधित कार्य का नाम व पूर्ण विवरण भरकर वांछित दस्तावेजों के साथ भेजना होगा।
- (३) निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से भान्य किया जावेगा, पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा :-

लिफाफा "अ"

I) विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया व पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र।

लिफाफा "ब"

I) छोगढ लो०नि०वि० एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

II) यदि फर्म है तो "पार्टनरशिप-डीड" प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति,

III) पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

IV) माल एवं संवाकर (GST) में पंजीयन की प्रति एवं पिछले ०३ माह का चुकता प्रमाण पत्र (३B) की प्रमाणित प्रति।

V) पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।

VI) निर्धारित प्रारूप में राशि रू० १००/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की छायाप्रति।

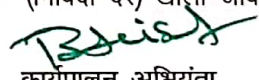
VII) निर्धारित राशि का एफ०डी०आर०/डी.डी. जो कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं दरदाता के संयुक्त नाम से जारी किया गया हो।

VIII) निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद जो कि आयुक्त, न०पा०नि० चिरमिरी के नाम देय हो।

लिफाफा "स"

I) उपरोक्त दोनों लिफाफे "अ" एवं "ब" को भरकर मुहरबंद किया जाना है, जिस पर नि०आ०सू० क्र०, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

- (४) अमानत राशि एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० रूप में ही स्वीकार की जावेगी, जो कि निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् का बनाया गया हो एवं जिसकी अवधि कम से कम ०१ वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- (५) एक निविदा हेतु एक शपथ पत्र राशि रू० १००/- के स्टाम्प पेपर पर तैयार कर नोटरी करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित कार्य के क्रमांक का उल्लेख करना होगा तथा सभी कार्यों के लिफाफे में उक्त शपथ पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (६) लिफाफा-"ब" में वांछित समस्त दस्तावेज पूर्ण व वैध पाए जाने के पश्चात् ही लिफाफा "अ" (निविदा दर) खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।


 कार्यपालन अभियंता
 नगरपालिक निगम चिरमिरी
 जिला-एम.सी.बी. (छोगढ)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. निविदा भरने हेतु इच्छुक निविदाकारों को विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in अथवा नगर निगम चिरमिरी की वेबसाईट www.nagarnigamchirmiri.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, राशि व निविदा दर आदि पूर्ण विवरण भरकर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद के साथ अमानत राशि का एफडीआर/डी.डी. तथा समस्त वांछित दस्तावेज निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदा त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा, पृथक-पृथक लिफाफों में निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा :-

लिफाफा "अ"

अ) विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किया गया व पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र।

लिफाफा "ब"

- I) छ0ग0 लो0नि0वि0 एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- II) यदि फर्म है, तो "पार्टनरशिप-डीड" प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति,
- III) पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- IV) माज एवं सेवाकर (GST) में पंजीयन की प्रति एवं पिछले 03 माह का चुकता प्रमाण पत्र (3B) की प्रमाणित प्रति।
- V) पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
- VI) निर्धारित प्रारूप में राशि रू0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की छायाप्रति।
- VII) निर्धारित राशि का एफ0डी0आर0/डी.डी. जो कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं दस्तावेज के संयुक्त नाम से जारी किया गया हो।
- VIII) निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी./विविध रसीद जो कि आयुक्त, न0पा0नि0 चिरमिरी के नाम देय हो।

लिफाफा "स"

अ) उपरोक्त दोनों लिफाफे "अ" एवं "ब" को भरकर मुहरबंद किया जाना है।

(निविदा प्रपत्र में दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा काटछांट या अपलेखन मान्य नहीं होगी।)

3. निविदाकार को मूल (Original) लेटर-पैड में प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा, लेटर-पैड की छायाप्रति में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
4. अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/स्थानीय स्तर के ग्रामीण बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0/डी0डी0, आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी एवं संबंधित फर्म के संयुक्त नाम से जारी हो एवं डी0डी0 प्रस्तुत करने की स्थिति में "आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी" के पक्ष में देय होगा।
5. अमानत राशि जो किसी अन्य कार्य के लिए कार्यालय में पूर्व से जमा हो, इस निविदा हेतु समायोजित नहीं होगी।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में नगरपालिक निगम चिरमिरी प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जिसके लिए कोई भी न्यायालयीन वाद मान्य नहीं होगा।
8. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिक निगम चिरमिरी प्रशासन को होगा। इसके लिए कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है।

9. समस्त काँक्रीट कार्य में क्रेशर मेटल का ही प्रयोग किया जावेगा।
10. ठेकेदार के चल देयक से नियमानुसार धरोहर राशि, जीएसटी, आयकर एवं अन्य कटौतियाँ की जावेगी।
11. जीएसटी के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निविदा में लागू होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी करों के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।
12. निर्माण कार्य के देयक से 5 प्रतिशत की राशि **सुरक्षा निधि के रूप में 01 वर्ष के लिए** रोकी जावेगी।
13. निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग में लाई गई खनिज गौण सामग्री में रॉयल्टी का भुगतान कलेक्टर, कार्यालय की खनिज शाखा में करते हुये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
14. कार्य से संबंधित विस्तृत शर्तों, प्राक्कलन, ड्राईंग इत्यादि तकनीकी शाखा (निर्माण), न0पा0नि0 चिरमिरी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस अथवा समय में प्राप्त/देखे जा सकते हैं।
15. निर्माण कार्य के दौरान उपयोग किये गये मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट व निर्माण कार्य की गुणवत्ता छ0ग0 वर्क मैनुअल के प्रावधान अनुसार प्रत्येक देयकों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसका व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
16. चल देयकों के भुगतान की स्थिति में 90% का ही भुगतान देय होगा, रोकी गई 10% राशि का भुगतान अंतिम देयकों के समय किया जावेगा।
17. कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्य की लागत के आधार पर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करना होगा। साईट में तकनीकी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
18. निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में ही न्यूनतम दर प्रेषित करने वाले ठेकेदार को साधारण डाक/कार्यालयीन भृत्य भेजकर सूचित किया जावेगा।
19. छ0ग0 (म0प्र0) वर्क्स मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अद्यतन आदेश प्रभावशील रहेंगे।
20. स्थानीय बाजार में सामग्री की अनुपलब्धता समय वृद्धि का कारण नहीं होगी।
21. विद्युतीकरण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत), रायपुर द्वारा जारी "अ" श्रेणी के लायसेंस की जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
22. निकाय की आवश्यकता के आधार पर कार्य के परिमाण में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
23. कार्य में नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
24. राशि रू0 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
25. निविदा दाता द्वारा एस0ओ0आर0 दर से कम निविदा दर प्राप्त होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन0एस0सी0, जो कि संबंधित निगम के आयुक्त के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जावेगी।
26. प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापस होगी।
27. दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को 15 दिवस के अंदर कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। उक्त समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किए जाने की स्थिति में निविदा स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं 01 वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।
28. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में नियमानुसार राशि की कटौती की जावेगी।
29. कार्यादेश शासन से राशि प्राप्त होने/उपलब्धता के आधार पर जारी किया जावेगा।
30. सीमेण्ट काँक्रीट सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्री के आधार पर टेस्टिंग कराकर संपादित कराया जावेगा। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य एम-30 ग्रेड की काँक्रीट से कराया जाना संभावित होगा। ऐसी स्थिति में डिजाईन अनुसार वजन कराकर काँक्रीट का कार्य संपादित कर सके।

31. सभी तरह की काँक्रीट कार्य में जीरा (6 एमएम या इससे कम) गिट्टी को प्रयोग में लाया जाना वर्जित किया जाता है। अतः उप अभियंता के निर्देशानुसार जीरा गिट्टी होने की स्थिति में गिट्टी को छानने के बाद प्रयोग में लाया जावेगा। जिन ठेकेदारों के पास यह सुविधा उपलब्ध हो वही निविदा में भाग लें ऐसी सलाह दी जाती है। ब्रिक मेशनरी (ईट से होने वाले निर्माण) के कार्य में पलाई ब्रिक्स का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
32. कार्य स्थल में कार्य प्रारंभ करने के बाद सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा। अर्थात् खुदाई के बाद गड्ढों की बेरिकेडिंग कर स्थल को सुरक्षित रखा जावे। निर्माण सामग्री को इस तरह एकत्रित करें कि आवागमन बाधित नहीं हो तथा परिवहन अवरुद्ध होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।
33. शासन से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य संशोधित कर समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि सम्पूर्ण राशि का कार्य कराया ही जावे। लागत मूल्य से कम मूल्य पर अथवा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर अनुबंध/कार्यादेश समाप्त किये जाने की स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
34. निर्माण कार्य में टेस्टिंग का कार्य किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय या अन्य प्रतिष्ठानों से कराये जाने की स्थिति में उसमें होने वाले व्यय का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। ऐसा भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किये जाने पर उसके देयक से कटौती कर भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा।
35. ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर कार्य करते समय बोर्ड प्रदर्शित करना होगा, जिसमें कार्य का नाम, योजना, तत्समय निर्धारित मजदूरी की दरें, मानव दिवस, सामग्रियों की मात्रा तथा कार्य की लागत, कार्य का प्रारंभ दिनांक एवं कार्य की समय अवधि का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।
36. कार्यादेश खण्ड में कम या अधिक लागत का दिया जा सकता है, यह आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी/महापौर का अधिकार होगा।
37. कार्य संपादन में उक्त क्षेत्र के निवासियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए वैकल्पिक अस्थायी मार्ग, नाली आदि का कार्य ठेकेदार को स्वयं संपादित करना होगा तथा कार्यसमाप्ति के पश्चात् वैकल्पिक स्थल को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। क्षेत्र के निवासियों को असुविधा होने की स्थिति में कार्य को रात्रिकालीन कराने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था अथवा राशि निकाय द्वारा देय नहीं होगी।
38. पूर्व में जिन निविदाकारों की दर न्यूनतम हुई हैं एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अनुबंध संपादित नहीं किया गया है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही जिन निविदाकारों को कार्य प्रदाय किया गया है एवं 01 वर्ष से ज्यादा अवधि होने के पश्चात् भी लंबित हैं उन्हें भी निविदा से पृथक रखा जावेगा। यदि ऐसे निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
39. सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की स्थिति संबंधी फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्य का नाम एवं कार्यस्थल अंकित हो।
40. आहूत की गई निविदा तिथियों में किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं तो निविदा की कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में सम्पन्न किया जावेगा। इसके लिए पृथक से कोई सूचना जारी नहीं किया जावेगा।



कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम चिरमिरी
जिला-एम.सी.बी. (छबगो)

**रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में
शपथ पत्र (Affidavit)**

मैं/हम (शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम) जो कि मेसर्स
(ठेकेदार फर्म/कम्पनी का नाम) के (कंपनी/फर्म में हैसियत) है और फर्म/कम्पनी की
ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है, इस शपथ-पत्र द्वारा शपथपूर्वक यह प्रमाणित करता
हूँ/करते हैं कि आयुक्त, नगरपालिक निगम चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छोगा) द्वारा
आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक दिनांक वास्ते (कार्य का
नाम या कार्य क्रमांक)

..... के लिये दिनांक (क्वम क्वम) को आमंत्रित निविदाओं के बारे में
प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र में निम्नलिखित जानकारी के समर्थन में जो प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत
किये जा रहे हैं, उससे मैं/हम व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से संतुष्ट है तथा एतद् संबंधी जानकारी, अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ -

- (1) यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णत सत्य एवं प्रमाणिक है।
- (2) यह कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत
(अ) ई.एम.डी. के रूप से जमा की गई डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. अन्य संबंधी दस्तावेज जो बैंक के
द्वारा प्रदाय किए गए हैं वे बैंक से प्रमाणिक हैं।
(ब) निविदा में भाग लेने हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां सत्य व
वैध हैं। प्रस्तुत दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में मैं/हम पूर्णरूपेण जिम्मेदार
होंगे।
- (3) मैं/हम भारत सरकार/अन्य राज्यों के राज्य सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में
काली सूची में सम्मिलित नहीं हूँ/हैं या डिबार नहीं किया गया हूँ/हैं।
- (4) यह कि नगरीय प्रशासन विभाग में मेरे/हमारी फर्म/कम्पनी के सदस्यों का कोई निकट रिश्तेदार
कार्यरत नहीं है।

अथवा

निम्नलिखित निकट रिश्तेदार कार्यरत है -

नाम पदनाम वर्तमान पदस्थापना

- (5) यह कि मेरे/हमारे/फर्म के विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण कहीं भी पंजीबद्ध नहीं है।

सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापन
की सील तारीख सहित

हस्ताक्षर मय सील के

निर्धारित प्रपत्र में शपथ नहीं देने पर निविदा में अनर्ह घोषित किया जावेगा।